राजस्व प्रकरण संख्या 50/2011

1. लालू पिता तुलसीराम जाति गुजर उम्र 57 साल खेती लक्ष्मीखेडा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा मृतकः–
   1.1 कृष्ण गोपाल पिता लालूराम जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी विक्रमपुरा
   1.2 महावीर पिता लालूराम जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी विक्रमपुरा
   1.3 मु0 सीता देवी पुत्री पिता लालूराम जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी विक्रमपुरा
   1.4 नन्दू बेवा पिता लालूराम जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी विक्रमपुरा

...............वादीगण

<u>बनाम</u>

1. रामनाथ .तुलसीराम जाति गुजर उम्र 25 साल खेती लक्ष्मीखेडा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा।
2. हेमराज पिता रामचन्द्र चितोडा उम्र बालीग व्यवसाय व्यापार निवासी बिजौलियां जिला भीलवाडा।
3. राजस्थान सरकार मार्फत तहसीलदार महोदय (भूमिधारी) बिजौलियां जिला भीलवाडा।

...........प्रतिवादीगण

उपस्थितः–
गिरधारी लाल आचार्य अधिवक्ता वादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–188 रा0टि0एक्ट0

दिनांक 15.06.2018

:–निर्णयः–

वादपत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है वादीगण ने एक नियमित राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरुद्व प्रतिवादीगण उपखण्ड न्यायालय माण्डलगढ में दिनांक 07.05.2001 को प्रस्तुत किया तत्पश्चात उपखण्ड न्यायालय बिजौलियां नवसृजित होन से दिनांक 09.06.2011 को इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सूनवाई प्रारम्भ की गई। मौजा लक्ष्मीखेडा स्थित गत बन्दोबस्ती बिलानाम कृषि योग्य भूमि आराजी खसरा न0 36 मी रकबा 14 बीघा 7 बिस्वा स्थित होकर उस पर वादी एवं प्रतिवादी नंबर एक का निरन्तर जरिये काश्त के कब्जा चला आ रहा था। प्रारंभ में बन्दोबस्त संवत 2025 से 2028 के चलते वादी एवं प्रतिवादी नं एक को 10 बीघा 13 बिस्वा भूमि गत बन्दोबस्ती नाप की आवंटित की गयी किन्तु राजस्व रेकार्ड में इन्द्राजात का अंकन बन्दोबस्त कार्यवाही के दौरान स्थगित रहने से राजस्व अभिलखों में नहीं किय जा सका। संवत 2030 के आसपास नया बन्दोबस्ती रेकार्ड उपलब्ध होने पर वादी ए प्रतिवादी नंबर एक की खातेदारी में गत बन्दोबस्ती नाम एवं खसरा नंबर से केवल 8 बी 10 बिस्वा भूमि ही आवंटन से दर्शायी जाकर गत बन्दोबस्त खसरा नंबर 36/11 का वा एवं प्रतिवादी नंबर एक का खातेदार माना गया इस प्रकार करीब 2 बीघा भूमि बन्दोबस्ती नाप के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी नंबर एक की खातेदारी में कम दर्ज गयी। संवत 2025 के समय जब बन्दोबस्त इस क्षेत्र में प्रारम्भिक अवस्था में था उ आराजी नंबर 36/11 रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा का इन्द्राज परिवर्तनशील जमाबंदी में f गया तत्कालीन समय में लगान के निर्धारण के साथ साथ पट्टा भी वादी एवं प्रति नंबर एक को दे दिया गया जो आवंटन आदेश 10 बीघा 13 बिस्वा का ही दिया गया अनुसार वादी एवं प्रतिवादी नंबर एक काबिज हो भूमि पर काश्त करते रहे है। यह व बन्दोबस्त में राजस्व रेकार्ड पर दर्शाये गये वादी एवं प्रतिवादी नंबर एक के आवंट आराजी खसरा नंबर 663/525 रकबा 10 बीघा 6 बिस्वा से अभिलिखित किया गया खसरा नंबर 36/11 रकबा 8 बीघा 10 बिस्वागत बन्दोबस्ती खसरा नंबर व रकबे से बताया गया है जब कि गत व हाल बन्दोबस्ती रेकार्ड की तुलना में करीब 1 बीघा

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाडा

बिस्वा के बनते ... खसरा नंबर 659/525 रकबा 4बीघा ... प्रतिवादी नंबर दो की गैर खातेदारी में अंकन होना प्रतिवादी ... जबकि न तो उक्त भूमि पर प्रतिवादी नंबर दो का कब्जा है एवं न ही प्रतिवादी नंबर 2 कभी उक्त भूमि पर काश्त की है आराजी नंबर 659/525 रकबा 4 बीघा में 1 बीघा ऐसा रकबा सम्मिलित है जो वादी एवं प्रतिवादी नंबर एक की खातेदारी में गत व हाल बन्दोबस्ती नाप के अन्तर से कम दर्ज किया हुआ है जो शेष 3 बीघा रकबा प्रतिवादी नंबर दो के खाते में दर्ज है उस पर संवत 2025 से वादी एवं प्रतिवादी नंबर एक निरंतर बिना किसी बाधा के शांति पूर्वक बिना प्रतिवादी नंबर दो हस्तक्षेप के चला आ रहा है। खसरा नंबर 659/525 रकबा 3 बीघा पर संवत 2025 से 2038 से ही कब्जा चला आ रहा है। विवादग्रस्त खसरा नंबर 659/525 रकबा 3 बीघा पर संवत 2025 से 2038 तक निरन्तर शास्ती आरोपीत की जाती रही है। विवादग्रस्त खसरा नं0 659/525 रकबा 4 बीघा को प्रतिवादी नं0 दो की गैर खातेदारी में अभिलिखित कर दिया गया जबकि विवादग्रस्त खसरा नं0 व रकबे पर वादी एंव प्रतिवादी नं0 1 का ही कब्जा चला आ रहा है। वादी एवं प्रतिवादी नंबर एक एक बीघा का आवंटन समय से खातेदार है क्योकि वादी एवं प्रतिवादी नंबर एक के खाते में एक बीघा रकबा उनके वास्तविक बनने वाले रकबे से कम दर्ज है इसलिये वादी एवं प्रतिवादी नंबर एक को उनके वैध कब्जे सहित खसरा नंबर 659/525 रकबा 4 बीघा का खातेदार काश्तकार घोषित करवाया जाना विधिनकूल है। दिनांक 15–04–2001 को प्रतिवादी नंबर दो द्वारा वादी को धमकी दिये जाने एवं राजस्व अभिलेखों संबन्धी दस्तावेज दिनांक 3–5–2001 को वादी को प्राप्त हो जाने सारी स्थिती की जानकारी होने से बिनाय दावा उत्पन्न हो जारी है। वादी ने अनुतोष चाहा है कि मौजा लक्ष्मीखेडा स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 659/525 रकबा 4 बीघा में से वादी एवं प्रतिवादी नंबर एक को एक बीघा का खातेदार काश्तकार घोषित करवाया जाकर वादी एवं प्रतिवादी नंबर एक खाते में कम पड रही भूमि की आपूर्ति करवायी जावे इस बाबत प्रतिवादी नंबर 2 एवं 3 के विरूद्ध डिक्री सादिर फरमायी जावे। शेष रकबा 3 बीघा खसरा नंबर 659/525 का वादी एवं प्रतिवादी नंबर एक को निरंतर बिना किसी बाधा के शान्ती पूर्वक चले आ रहे कब्जे के आधार पर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की विरूद्ध प्रतिवादी नंबर 2 एवं 3 के सादिर फरमायी जावे।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादीगण की तलवी जरिये समन मय नकल वादपत्र भेज करवाई गई।

प्रकरण में प्रतिवादी ने जबाव प्रस्तुत कर जबाव में अंकित किया कि वादी को किस दिन दिनांक सन मे विवादित आराजी आवंटन की पूर्ण विवरण नहीं दिया है। पूर्ण विवरण के अभाव में जबाव दिया जाना असंभव है । प्रतिवादी न0 1 में वादपत्र प्रस्तुत नहीं किया। भू–प्रबंध को सम्पन्न हुए तीस वर्ष हो चुके है। तीस वर्ष के पश्चात वादी का विवाद करना गलत है। वादी ने राजस्व अभिलेखों में की जा रही प्रविष्टियों को तीस वर्षो में कभी भ चुनौती नहीं दी है। वादी अभिलेखों तथा सवयं के आचरण से विबन्धित है। वादी को तथाकथित प्रविष्टियों की जानकारी सम्वत 2025 में हो गई थी तो वादी ने सक्षम न्यायालय या सक्षम अधिकारी के समक्ष चाराजोई क्यो कर नही की यह गलत है कि वादी एवं प्रतिवादी न0 1 का कब्जा 10 बीघा 13 बिस्वा पर था। वादी तथा प्रतिवादी न01 राजस्व अभिलेखों की प्रविष्टियों से सन्तुष्ट रहे है। तथा अभिलेखों में दर्ज रकबे पर भी काबील रहे होगे अन्यथा सरकार भूमि बाबत उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही होती तथा कथित कब्जे बाबत राजस्व अभिलेखों में कोई इन्द्राजात नहीं है। उत्तरदाता प्रतिवादी को ग्राम लक्ष्मीखेडा में स्थित आ.न. 525 रकबा 4 बीघा भूमि दिनांक 7–2–81 को आवंटन को आवंटन कमेटी की सलाह पर उपजिलाधीश महोदय ने आवंटन की प्रतिवादी को आराजी न0 525 रकबा 4 बीघा भूमि का दखलनामा दिया गया तथा मौके प तत्कालीन हल्का पटवारी ने नापकर कब्जा प्रतिवादी को दिया नक्शे तैयार किया आराज न0 525 रकबा 4 बीघा बिलानाम भूमि थ आराजी न0 525 का ईकरारनामा लिखा गय उत्तरदाता प्रतिवादी ने आवंटन शर्तों की पालना की गई आवंटन के बाद विवादित भू उत्तरदाता प्रतिवादी के नाम पर गैरखातेदारी हक से राजस्व अभिलेखों में अंकित की ज रही है। उत्तरदाता प्रतिवादी सन 1981 से आराजी न0 525 रकबा 4 बीघा वर्त आराजी न0 659/525 रकबा 4 बीघा भूमि पर आज तक सतत निर्विवाद साधि काबीज होकर काश्त व भूगतभोग करता चला आ रहा है। आराजी न0 659/525 रक प्रतिवादी का आवंटन से तथा प्रतिकूल कब्जे के आधार पर माली

है। विधि के अनुसार उत्तरदा... बीघा भूमि पर ...
है। आराजी न0 659/525 रकबा 4 बीघा भूमि ...
रहा है। उत्तरदाता प्रतिवादी को उक्त आराजी का आवंटन सन 1981 ... प्रतिवादी को
कब्जा दिया गया। नक्शा बनाया गया मौके पर उक्त आराजी उत्तरदाता प्रतिवादी को
सिपूर्दगी में दी गई राजस्व अभिलेखों में गैरखातेदारी हक से दर्ज की गई वादी ने विगत
22–23 वर्षों में उत्तरदाता प्रतिवादी को किये गये आवंटन और राजस्व अभिलेखों मे चली
आ रहीं प्रविष्टियों को चुनौती नही दी है। प्रतिवादी न0 1 ने आज दिन तक चुनौती नहीं
दी है। प्रतिवादी न01 ने वादपत्र पेश नहीं किया है क्योंकि वादी का दावा निराधार होकर
चलने योग्य नहीं है। आराजी न0 525 हाल आराजी न0 659/525 बिलानाम भूमि थी जो
उत्तरदाता प्रतिवादी के नाम आवंटन हुई है। वादल को उक्त अराजी का खातेदार घोषित
किया जाना कतई विधि एवं न्यायसंगत नहीं है। उत्तरदाता प्रतिवादी को सन 1981 में
आवंटन हुआ है। उत्तरदाता प्रतिवादी ने सन 1981 से आत तक आवंटन शर्तों की पालना
की है। उत्तरदाता प्रतिवादी के नाम गैरखातेदारी हक को चुनौती नहीं दी है उत्तरदाता
प्रतिवादी कानुनन ही उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार हो चुका है। विवादित भूमि पर
वादी या प्रतिवादी न01 का कभी कब्जा काश्त व भुगतभोग नहीं रहा है। सन 1981 से
आज दिन तक आराजी न0 659/525 रकबा 4 बीघा भूमि पर प्रतिवादी काबीज होकर
भुगतभोग कर रहा है। काश्त कर रहा है प्रतिवादी ने सिचाई की रकम अदा की काश्त
रेकार्ड में दर्ज होती रही है। आराजी न0 659/525 रकबा 4 बीघा भूमि उत्तरदाता
प्रतिवादी को आवंटन सुदा भूमि है सन 1981से ही राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टियां वादी की
जानकारी में सक्षम अधिकारियों द्वारा की जाती रही है उन्हें वादी एवं प्रतिवादी न01 ने
कभी चुनौती नहीं दी है प्रतिवादी न02, 3 का किसी प्रकार का कुसंयोजन नहीं रहा हैं
वादी का विवादित भूमि पर कभी कब्जा नहीं रहा है। वादी निषेधाज्ञा की आड में विवादित
भूमि उत्तरदाता प्रतिवादी से हडपना चाहता है। उत्तरदाता प्रतिवादी विवादित भूमि का
खातेदार काश्तकार हो चुका है। खातेदार के विरूद्ध किसी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी
करना कतई विधि एवं न्यायसंगत नहीं है। उत्तरदाता प्रतिवादी को संरक्षण की आवश्यकता
है वादी को नही वादी लठ के बल पर विवादित भूमि पर कब्जा करना चाहता है। वादपत्र
अन्दर अवधि प्रस्तुत नही होने से वादपत्र स्वर्णाधिकार क्षैत्राधिकार नही होकर वादपत्र
काबिल समायत आप है। आवंटन तथा प्रतिकुल कब्जे के आधार पर उत्तरदाता प्रतिवादी
खातेदार है। वादपत्र चलने योग्य नही है अतः वादपत्र वादी खारिज फरमाया जावे।

प्रतिवादी हेमराज पिता श्रीरामचन्द्र चित्तौडा निवासी बिजौलिया में काउन्टर क्लेम
प्रस्तुत कर काउन्टर क्लेम में अंकित किया है कि प्रतिवादी को ग्राम लक्ष्मीखेडा में स्थित
आराजी नम्बर 525 रकबा 4 बीघा वर्तमान आराजी नं. 659/525 रकबा 4 बीघा भूमि सन
1981 में आवंटन की प्रतिवादी को मौके पर कब्जा दिया इकरारनामा सुपुर्दगीनामा लिखा
गया नक्शा बनाया गया। प्रतिवादी सन 1981 से उक्त आराजी पर काबिज होकर काश्त व
भुगतभोग करता चला आ रहा है। आवंटन शर्तो की पालन की है बाई ऑपरेशन ऑफ
प्रतिवादी खातेदार काश्तकार हो चुका है। वादी विवादित भूमि की खातेदारी को नकार रहा
है तथा मनगढंत तथ्यों पर आधारित वादपत्र प्रस्तुत कर निषेधाज्ञा प्राप्त करना चाहता है।
वादी ने प्रतिवादी को दिनांक 08.10.01 को धमकी दी है कि वादी प्रतिवादी को विवादित
आराजी से बेदखल करेगा। वादी विवादित आराजी की खातेदारी की घोषणा कराने तथा
स्थाई निषेधाज्ञा का अधिकारी है।

प्रतिवादी नंबर 1 रामनाथ पिता तुलसीराम गूजर निवासी लक्ष्मीखेडा ने इकवाल...
जवाबदावा पेश कर वादपत्र डिक्री कियाजाने हेतु निवेदन किया।

वादी की ओर से प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम का प्रतिउत्तर ...
किया गया जिसमें अंकित किया कि विवादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 659/525 वादी ...
खातेदारी में अभिलिखित की जाने वाली करषि भूमि को वादी की खातेदारी में अभिलि...
नहीं की गयी जिसके परिणामस्वरूप भूमि बिलानाम रह गयी एवं वादी का कब्जा ...
भूमि रहा इसका प्रमाण तत्कालीन समय की खसरा गिरदावरी फार्म नंबर 13 में हुये इ...
से स्पष्ट है जो वादी एवं प्रतिवादी नंबर एक के नाम पर है। वादी का कब्जा जरिये ...
के खसरा गिरदावरी में अंकित है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी नंबर दो का कब्जा वि...
आराजीयात पर होना नहीं माना जा सकता है। प्रतिवादी नंबर दो ने जिस प्रकार से
... 1981 में आवंटन के आधार पर कब्जा होना आवंटन दस्तावेजों की आ...
... गया है वह सर्वथा गलत है। केवल कागजी ...

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

के आधार ... प्रतिवादी नंबर एक के पास ... भूमि पूरी नहीं होती अन्य व्यक्तर को किसी भी प्र... तो वादी एवं प्रतिवादी नंबर एक की तुलना में प्रतिवादी नंबर दो ... स्थाई अथवा अस्थाई रूप से प्राप्त नहीं होगी। अतः प्रतिवादी नं0 2 का काउन्टर क्लेम सव्यय खारिज फरमाया जावे।

वादी ने वादपत्र के साथ दस्तावेज सूची के साथ दस्तावेजात नकल जमाबंदी सम्वत् 2025 नोटिस तहसील कार्यालय द्वारा दिया गया प्रति, नकल खसरा गिरदावरी रसीद, खसरा गिरदावरी सम्वत् 2020 नकल जमाबंदी ग्राम लक्ष्मीखेडा सम्वत् 2020 से 22, नकल खसरा गिरदावरी सम्वत् 2054, नक्शा ट्रेस प्रति, नकल जमाबंदी सम्वत् 2064, नकल मिलान खसरा दस्तावेज प्रस्तुत किये है।

अधिवक्ता प्रतिवादी ने प्रकरण में रसीद लगान, प्रमाणित नकल अलोटमेंट फार्म, प्रमाणित नकल इकरारनामा, प्रमाणित नकल नक्शा, प्रमाणित नकल आवंटन आदेश दिनांक 05.01.1982, प्रमाणित नकल सिपुर्दनामा, नकल जमाबंदी सम्वत् 2054 से 57, नकल खसरा गिरदावरी सम्वत् 2042, नकल खसरा गिरदावरी सम्वत् 2046, नकल खसरा गिरदावरी सम्वत् 2054 से 57 प्रस्तुत किये है।

वादी एंव प्रतिवादीगण के जवाब, जवाब काउन्टर क्लेम के आधार पर निम्न तनकीयात कायम किये गये।

1. आया कि मौजा लक्ष्मीखेडा स्थित गत बन्दोबस्ती खसरा नंबर 36 मी रकबा 14 बीघा 7 बिस्वा में से वादी एवं प्रतिवादी नंबर 1 को 10बीघा 13 बिस्वा भूमि का आवंटन किया गया जिसमे से वादी एवं प्रतिवादी नंबर 1 को उस खसरा नंबर 8 बीघा 13 बिस्वा भूमि गैरखातेदारी दी गई जिसका खसरा नंबर 36/11 अंकित किया गया। ....जिम्मेवादी
2. आया कि आवंटित सुदा 10 बीघा 13 बिस्वा भूमि से 2 बीघा रकबा की अनावश्यक कटौती कर वादी एवं प्रतिवादी नंबर 1के खाते में दर्ज किया गया। ....जिम्मेवादी
3. आया कि वादी एवं प्रतिवादी नंबर 1 को आवंटन की गई भूमि को हाल बन्दोबस्त में खसरा नंबर 663/525 रकबा 10 बीघा 6 बिस्वा से अभिलिखित किया गया जब कि नये नाप से बनने वाला वादी तथा प्रतिवादी नंबर 1 का रकबा 11 बीघा 6 बिस्वा होता है। ....जिम्मेवादी
4. आया कि वादी एवं प्रतिवादी नंबर 1 को आवंटित वास्तविक रकबे की पालना में एक बीघा रकबा वर्तमान नाप के अनुसार कम दर्ज किया गया है जिसका आंशिक खसरा नंबर 659/525 का भाग होकर वादी एवं प्रतिवादी नंबर 1 के कब्जे काश्त में होकर उनकी खातेदारी भूमि है। ....जिम्मेवादी
5. आया कि खसरा नंबर 659/525 रकबा 4 बीघा प्रतिवादी नंबर 2 की वै... खातेदारी भूमि है। ....जिम्मेप्रतिवादीगण
6. आया कि प्रतिवादी नंबर 2 को सन 1981 में किया गया आवंटन विधि विरूद्ध न होने से व प्रतिवादी नंबर 2 का प्रतिकूल कब्जा होने से वादी से प्रतिवादी नंबर ... के हित व कब्जा प्रभावित नहीं है। ....जिम्मेप्रतिवादी
7. आया कि वाद बेरुन मियाद है। ....जिम्मेप्रतिवादी

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाडा

प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत जवाब में यह अंकित किया गया कि उक्त वाद 2012 से निर्णय में चल रहा है जिसमें वादी ने अपनी लिखित बहस प्रस्तुत कर रखी ... प्रतिवादी ने अनुपस्थित रहने का जो कारण बताया है न्योचित नहीं है। इसलिए बता... कारण के आधार पर पूर्व पारित एक पक्षीय आदेश निरस्त किया जाकर पुनः ट्रायल ... जाना कतई न्यायोचित नहीं है। उक्त पत्रावली स्थानान्तरित सन 2010 में इस न्याया... प्राप्त हुई है, जिसको व्यतीत हुये सात वर्ष की अवधि निकल चुकी है। इस बीच ... प्रकरण की कार्यवाही के प्रति सजग नहीं रहा। प्रतिवादी को उसके विरुद्ध ... थी एवं उसने पूर्व कार्यवाही में भाग लिया। इस न्या...

बाबत कैम्प करता ... कुछ समय ...
थी। तब भी प्रतिवादी ने कुछ समय ... पत्रावली निर्णय में चल रहा ... प्रतिवादी
अनुपस्थित हो गये। वर्ष 2012 से पत्रावली निर्णय में चल ... नहीं बताया है। यदि
अनुपस्थिति का उचितोचित व न्यायोचित कारण भी नहीं बताया है। यदि न केवल अदालत समय जाया होगा
आवेदन पर पुनः दो तरफा के आदेश दिये जाते है तो न केवल अदालत समय जाया होगा
अपितु वादी जो वर्षों से प्रकरण में निर्णय का इन्तजार कर रहा है, न्याय पाने से वंचित हो
जायेगा। संपूर्ण मामला राजस्व रिकॉर्ड से संबंधित है जिसका अवलोकन कर न्यायालय निर्णय
करेगा। इस कारण प्रतिवादी के हित प्रभावित नहीं होंगे। प्रतिवादी ने जानबूझ कर लम्बा
समय निकालकर यह प्रार्थनापत्र पेश कर दिया ताकि प्रकरण का निपटारा नहीं हो सके और
प्रतिवादी कानूनी व्यवस्था का अनुचित लाभ लेता रहे। अतः प्रकरण स्वयं खारिज फरमाया
जावे।

साक्ष्य वादी में पी0डब्ल्यू0 I लालू पुत्र तुलसीराम गुर्जर निवासी लक्ष्मीखेडा के बयान
करवाये गये। बयान में लिखवाया कि–तुलसी राम के दो लडके लालू, रामनाथ हुए। लालू
रामनाथ के नाम पर 40 साल पहले जमीन आबंटित हुई थी। 10 बीघा व कुछ उपर बिस्वा
जमीन अलौट हुई थी। किन्तु खाते में साढे आठ बीघा ही दर्ज हुई थी। इसकी जमाबंदी मैंने
पेश की जो प्रदर्श 1 है। हमको जमीन का कब्जा सोपा गया था। पटवारी लोगो ने 10 बीघा
10 बिस्वा के बजाय 8 बीघा 10 बिस्वा ही जमीन दी। जमीन मौके पर 10 बीघा 10 बिस्वा
थी। हमारा कब्जा आवंटन से पहले 14 बीघा 7 बिस्वा पर था। जिसकी पुराने खातो की
नकले मौके पर थी जो पदर्श 2 व 3 है। अलोटमेंट पेमाईश के पहले का है नयी पेमाईश मे
हमारे 10 बीघा 6 बिस्वा जमीन दर्ज कर दी। जिसकी जमाबंदी मेने पेश की है। वास्तव में
नये नाप से हमारे 11 बीघा 5 बिस्वा जमीन दर्ज होनी चाहीये थी। मैं हेमराज चितौडा को
जानता हुँ जो दो तीन साल पहले मौके पर आया था। उससे पहले वह कभी नही आया।
हमारा कब्जा इस जमीन पर है हम ही जमीन को बो रहे है। हमने मक्का तिल वगैरह काश्त
की है। नहर का पानी जाता है। हमारे जमीन कम दर्ज हुई है। हम रकबा पुरा कराना चाहते
है। जिरह में लिखवाया कि भूदान से यह जमीन हमे सन् 1964–65 में अलोट हुई। अलोट
पुराने 36 नं0 में हुई। नया नं0 525 बने। आ0नं0 36 का पुरा रकबा 13–14 बीघा था। नये
नं0 525 का रकबा 15 बीघा करीब हो गया। पेमाईश पर हुये 25–30 साल हो गये।
नाजायज कब्जे के नोटिस मुझे 2–3 साल बाद मिले। यह कहना गलत है कि हमे 8 बीघा
10 बिस्वा जमीन ही अलोट हुई हो व उसका कब्जा चला आ हरा हो। यह कहना गलत है
कि 1981 से आज तक 4 बीघा जमीन प्रतिवादी हेमराज का कब्जा काश्त भुगतभोग चला आ
रहा हो।

साक्ष्य वादी में पी0डब्ल्यू0 II उंकार पिता होकमा धाकड निवासी लक्ष्मीखेडा ने
बयान में लिखवाया कि मै वादी को जानता हुँ वादी के खेत का पडोसी हुँ। जमीन वादी को
अलोट हुई जिसे 30–25 साल हो गये। पुराने नाप की 13–14 बीघा जमीन अलोट हुई थी।
अलोट की जमीन पर शुरु से ही कब्जा रहा है। वादी ने इस के जमीन के चारो तरफ कोट
कर रखी है। जमीन ग्राम लक्ष्मीखेडा मे है। विवादीत जमीन मेरी जमीन के दो खेत बाद में
है। मै हेमराज चितोडा को नही जानता हुँ मेने इसे जमीन के आसपास खेती करते नही देखा
है। जिरह में इस गवाह ने यह स्वीकार किया कि इस जमीन के नये पुराने नं0 में नही
जानता हुँ। यह भी मुझे मालूम नही है कि वादी को यह जमीन कौनसे साल सम्वत् में
आलोट हुई पटवारी ने जमीन मौके पर वादी को नाप कर दी हो तो तब मे नही था। जमीन
की नपती मेरे सामने नही हुई। विवादीत भूमि मे से 4 बीघा भूमि हेमराज को आवंटन हुई हो
तो मुझे पता नही है।

साक्ष्य वादी में पी0डब्ल्यू0 III कजोड पिता लखा गुर्जर निवासी लक्ष्मीखेडा
बयान करवाये गये । बयान में लिखवाया कि मै लालू पिता तुलसीराम गुर्जर को जानता
झगडे वाली जमीन को भी जानता हुँ। क्योकी में बकरीया चराने उधर ही जाता हुँ।
जमीन वर्तमान नाप से 14–15 बीघा होगी। यह जमीन वर्गी को अलोट हुये 35–40 साल
गये। वर्गी इस जमीन में खेती करता है। मै रामनाथ पिता तुलसीराम गुर्जर को जानता
लेकिन हेमराज चितोडा को नही जानता हुँ। विवादग्रस्त जमीन पर मेने वादी के अ
किसी अन्य का कब्जा नही देखा। आलेट से पहले भी मेरा इस जमीन को देखने का
पडा है। कालू ने इस जमीन के चारो तरफ कोट कर रखी है। जिरह में लिखवाया कि
को जमीन अलोट हुई उसकी तारीख एंव साल सम्वत् मुझे याद नही है लेकिन 196
... है कि हेमराज का कब्जा 25 साल से चला आ रहा हो।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

साक्ष्य वादी में पी0डब्ल्यू0 ... पी0डब्ल्यू0 2 ... चितौडा निवासी ...
पी0डब्ल्यू0 5 ने भी अपने बयानों में ...

साक्ष्य प्रतिवादी में डी0डब्ल्यू0 1 हेमराज पिता रामचन्द्र चितौडा ... को साक्ष्य में प्रस्तुत कर बयान करवाये गये। बयान में लिखवाया कि वादग्रस्त जमीन ग्राम लक्ष्मीखेडा में होकर 4 बीघा 25 साल पहले मुझे आवंटन हुई। इस जमीन पर मेरा 25 साल से कब्जा है और मे ही जमीन को काश्त कर रहा हुँ। जिरह में लिखवाया कि लालू पिता तुलसीराम को जानता हुँ। मेरी जमीन के पूर्व में लालू की जमीन होने से जानता हुँ। वादी की कितनी जमीन मुझे पता नही है। मेरी जमीन व वादी की जमीन के बीच मे केवल मेड है। वादी की जमीन पहले से ही है मेरी जमीन बाद में अलोट हुई है। वादी की जमीन बाप दादाओ की है। मुझे जमीन अलोट हुये 26 साल हो गये है। यदि वादीगण को जमीन अलोट हुई हो तो मुझे जानकारी नही है। मेरे आस पास की जमीने दुसरो को अलोट हुई हो तो मुझे पता नही। मेरे बाद भी किसी को अलोट हुई तो पता नही है। यह कहना गलत है कि मेरा कब्जा ढेड बीघा पर हो बल्कि 4 बीघा जमीन पर कब्जा है। मेरा परिवार खोती करता है। इस जमीन के अलावा मेरे कोई जमीन नही है। मुझे अलोट सुदा जमीन आज भी गैर खातेदारी हक से दर्ज है। यह मुझे पता नही कि लालू रामनाथ की जमीन मेरे खाते दर्ज हो गई हो। यह कहना गलत है कि मेरा कब्जा नही हो।

प्रतिवादी नं0 2 के विरुद्व दिनांक 29.06.2011 को अदम हाजरी में उसके विरुद्व एकपक्षिय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। पुनः दिनांक 12.01.2017 को प्रतिवादी नं0 2 की और से श्री परवेज आलम अधिवक्ता द्वारा वकालननामा मय प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 सी0पी0सी0 का प्रस्तुत किया जो बाद सुनवाई दिनांक 08.11.2017 को प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया गया।

प्रकरण एकपक्षिय होने से विद्ववान अधिवक्ता वादी की बहस सूनी गई। तथा प्रस्तुत लिखित बहस का अवलोकन किया गया। वादी की ओर से बहस में अंकित किया गया की वादी व प्रतिवादी नंबर 1 की मौजा लक्ष्मी खेड़ा स्थित भूमि बिलानाम राजकीय भूमिगत भूमाप के खसरा नंबर 36 की रकबा 14 बीघा 7 बिस्वा में 10 बीघा 13 बिस्वा का आवंटन किया गया क्योंकि उस समय जब आवंटन किया गया इस क्षेत्र में बंदोबस्त कार्यवाही की प्रक्रिया जारी थी इसीलिए केवल आवंटन संबंधी भूमि सुपुर्द करने भूमि का दखल नामा देने व परिवर्तनशील जमाबंदी तैयार करने की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई केवल बंदोबस्त कार्यवाही समाप्ति के पश्चात राजस्व अभिलेखों में उसका इंद्राज किया जाना था वादी व रामनाथ प्रतिवादी नंबर 1 को आवंटन से प्राप्त भूमि पर काबिज हो गए उसके द्वारा पुराने नाप की 10 बीघा 13 बिस्वा भूमि को उन्नत व विकसित कर दिया आवंटियों द्वारा अपनी शारीरिक आर्थिक लागत लगा भूमि को परिवार के भरण पोषण के रूप उसका उपयोग किया जाने लगा बंदोबस्त के दौरान प्रतिवादी नंबर 3 के अधीनस्थ कर्मचारियों ने वादी को आवंटित भूमि कब्जे में दी गई भूमि रकबा 10 बीघा 13 बिस्वा के स्थान पर बंदोबस्त विभाग को गत नाप की ... बीघा 15 बिस्वा भूमि ही अपने रिकॉर्ड के विपरीत कथन किया इस कारण बंदोबस्त विभाग ... वादी को 10 बीघा 13 बिस्वा भूमि के स्थान पर केवल 8 बीघा 15 बिस्वा भूमि का खाते... मान राजस्व अभिलेखों गैर खातेदारी हक से दर्ज किया! बन्दोवस्त विभाग द्वारा गत भूमि आराजी ख.नं. 38 की कुल रकबा 14 बीघा 7 बीस्वा को दो नम्बरान में विभाजित कर जिसका एक खसरा न0 663 / 525 रकबा 10 बीघा 10 बीस्वा बनाया गया व एक खसरा 659 / 525 रकबा 4 बीघा बनाया गया। वादी व रामनाथ के कब्जे में दोनों ही खसरा 663 / 525 एवं 659 / 525 हैं क्योंकि वादी को गत नाप का 10 बीघा 10 बीस्वे का हुआ था। उसके नए नाप के अनुसार 13 बीघा 13 बीस्वा रकबा बनता है। वादी को ... न0 रकबे 13 बीघा 13 बीस्वे पर कब्जा बनाए रखने का अधिकार है। वादी को 10 बीस्वा गत नाप अनुसार का आवंटन से कब्जा देने के पश्चात भी 3 बीघा 17 बी... बच रहा था। अर्थात वादी को किये गये भूमि के आवंटन रकबे की पूर्ति बिना कि... हो रही थी। इसलिए प्रतिवादी न0 3 के कर्मचारियों द्वारा अकारण ही 10 बीघा ... ...में राजस्व रिकॉर्ड में वादी को 8 बीघा 15 बीस्वा का आवंटन ...

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

व रामनाथ को आवटन ... भी वादी का करीब 14 बीघा भूमि पर कब्जा ... आदेशानुसार रकबे की पूर्ति हेतु निवेदन करता रहा। प्रतिवादी ... आराजी ख. 659 / 525 रकबा 4 बीघा बिलानाम भूमि दर्शाया जाने से वर्ष 198... को प्रतिवादी न0 2 को आवंटित कर दिया। जबकि वादी ख.नं. 659 / 525 के 3 बीघा का वास्तविक खातेदार में कब्जेधारी काश्तकार था। प्रतिवादी न0 2 न तो कभी वादग्रस्त ख.न. 659 / 525 के 4 बीघा रकबे में से रामनाथ व वादी के कब्जे वाले 3 बीघा रकबे पर कब्जा रहा है एवं न ही वही भूमि को जानता है। वादी व रामनाथ का कब्जा आराजी ख.न. 659 / 525 के 3 बीघा रकबे पर सदैव रहा है इसके प्रमाण में वादी ने खसरा गिरदावरी की नकल अपने विरूद्ध चली नाजायज कब्जे की कार्यवाही के दस्तावेज प्रस्तुत किये है जो इस बात का प्रमाण है कि वादी का कब्जा उसके द्वारा चाही जा रही खातेदारी भूमि पर है। इसी प्रकार जितने रकबे का आवंटन हुआ उतने रकबे की नये नाप के अनुसार वादी खातेदारी पाने का अधिकारी है इसलिए वादी आराजी ख.न. 659 / 525 रकबा 4 बीघा में 3 बीघा की खातेदारी पाने का अधिकारी है, क्योंकि प्रतिवादी न0 2 को इस खसरा न0 में भूमि का गलत आवंटन हुआ है, इस भूमि का वादी वास्तविक खातेदार है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया।

प्रकरण में प्रतिवादी के विरुद्ध एकपक्षिय आदेश है जिससे वाद का संक्षेप में विवेचन किया गया। प्रकरण में वादी प्रतिकुल कब्जे के आधार पर ख0नं0 525 नया रकबा 659 / 525 रकबा 4 बीघा भूमि की खातेदारी घोषणा चाहता है। उक्त भूमि पर प्रतिवादी सं0 2 हेमराज चितौडा गैर खातेदार के रुप में दर्ज है। प्रतिवादी नं काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन किया कि उसे गैर खातेदार से खातेदार घोषित किया जावे। वादी को कब्जे के आधार पर ख0नं0 659 / 525 का खातेदार घोषित नही किया जा सकता है। वादी यह सिद्ध करने में सफल नही रहा कि उसको आवंटित भूमि किस प्रकार कम पडी। प्रतिवादी ने गैर खातेदार से खातेदार घोषित करने का काउन्टर क्लेम पेश किया। गैर खातेदार से खातेदार घोषित करने हेतु प्रावधान अलग से बने हुये है। प्रतिवादी को संबंधित नियमो के तहत चारा जोही करनी चाहीये। अतः प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम खारिज किया जाता है। एंव वादी द्वारा वादी की पूष्टि मे आवंटित भूमि के कम दर्ज होने बाबत अभिलेख प्रस्तुत नही किये है। अतः वादी का वादपत्र खारिज योग्य है।

अतः वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 88—188 रा0टि0एक्ट खारीज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 15.06.2018 को लिखवाया जाकर मजमे आम भोपतपुरा केम्प कोर्ट न्यायालय पर सुनाया गया।

15/06/18

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलिया
(केम्प भोपतपुरा)

राजस्व लोक अदालत अभियान
उपखण्ड बिजौलियाँ